रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 413] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 28, 2000/श्रावण 6, 1922
No. 413] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 28, 2000/SRAVANA 6, 1922

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन स्कंध)

आदेश

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2000

सा.का.नि. 642(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के जल भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 23 (अ) तारीख 5 जनवरी, 2000 के साथ भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 5 जनवरी, 2000 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 10 जनवरी, 2000 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं :

और जनता से प्राप्त आक्षेपों को और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है, अत: अब केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (6वां संशोधन) नियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है के नियम 2 में खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग क) सन्निर्माण उपस्कर यान" से रबड़ टायरों वाले (जिसमें वातीय टायरों वाले यान भी सम्मिलित हैं), रबड़ पैड से युक्त या इस्पात ड्रम पहिये मढे हुए, स्वचालित, उत्खनक, लोडर, बेकहो, कम्पेक्टर रोलर, डम्पर, मोटर ग्रेडर, चल क्रेन, डोजर, फोर्क उत्थापक ट्रक, स्वत: लदाई करने वाला कंक्रीट मिक्सर या कोई अन्य सन्निर्माण उपस्कर यान या उनका कोई ऐसा संयोजन अभिप्रेत है जिसे राजमार्ग से परे, खनन, औद्योगिक उपक्रम, सिंचाई और साधारण सन्निर्माण संकर्मों में संक्रियाओं के लिए डिजाईन किया गया है, किन्तु जिसे "आन या आफ" अथवा "आन और आफ" राजमार्ग क्षमताओं के साथ उपांतरित और विनिर्मित किया गया है।

स्पष्टीकरण :—कोई सन्निर्माण उपस्कर यान ऐसा परिवहनेत्तर यान होगा जिसका सड़क पर चालन, उसके राजमार्ग से परे मुख्य कृत्य का अनुषंगिक है और जो कम अवधि के लिए 50 कि.मी. प्रति घंटा से अनधिक गति पर है किन्तु ऐसे यानों में अन्य ऐसे सन्निर्माण उपस्कर यान सम्मिलित नहीं है जो पूर्णरूप से राजमार्ग से परे रहते हैं और जिन्हें सड़क नेटवर्क से भिन्न किसी बंद परिसर, कारखाने या खान में प्रयोग के लिए डिजाइन और अंगीकृत किया गया है और जो अपनी स्वयं की शक्ति से आम सड़कों पर चलने के लिए सज्जित नहीं है।"

3. मूल नियम के नियम 92 के उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण** :—इस नियम के प्रयोजन के लिए "मोटर यान" में सन्निर्माण उपस्कर यान सम्मिलित है'।

4. मूल नियम के नियम 93 में,

(क) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(क) किसी सन्निर्माग उपस्कर यान की सम्पूर्ण चौड़ाई, जो सन्निर्माण उपस्कर यान की धुरी के समकोण पर अंतिम बिंदुओं को समाविष्ट करने वाले लम्ब समतल के बीच मापी जाएगी, गतिमान होने पर 3 मीटर से अनधिक होगी और ऐसे सन्निर्माण उपस्कर यान के सामने और पिछली तरफ की पूरी चौड़ाई पर पीली और काली जेबरा पट्टियां पेंट की जाएंगी, जिन पर रात्रिकाल चालन/पार्किंग के लिए समुचित रूप से सामने और पिछली तरफ लाल दीप सम्यक् रूप से चिन्हित होंगे :

(ख) उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थपित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3क) सन्निर्माण उपस्कर यान की सम्पूर्ण लम्बाई, जब यह गति में हो 12.75 मीटर से अधिक नहीं होगी :

परंतु उस दशा में जब सन्निर्माण उपस्कर यान की दो से अधिक धुरियां हो, लम्बाई 18 मीटर से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :—इस उपनियम के प्रयोजन के लिए "समग्र लंबाई" से यान की यान के अंतिम प्रक्षेप बिंदुओं से होकर, समानान्तर समतलों के बीच मापी गई लंबाई अभिप्रेत है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है:—

(i) यान से जोड़ा गया कोई अग्नि शामक ;

(ii) प्रचालक द्वारा यान पर चढ़ने या उतरने के लिए प्रयोग की गई कोई सीढ़ी;

(iii) यान से जुड़ी कोई पुच्छदीप या दिशासूचक बत्ती या नम्बर प्लेट;

(iv) किसी यान में लगाया हुआ कोई फालतू पहिया या फालतू पहिया ब्रेकेट या बम्पर;

(v) कोई कर्षण हुक या अन्य फिटिंग;

(vi) गतिमान सन्निर्माण उपस्कर यान के मुख भाग, पृष्ठ भाग या वाहक चेसिस पर कोई परिचालन संलागी।

(ग) उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(4क) किसी सन्निर्माण उपस्कर यान की जब वह गति में हो सम्पूर्ण ऊंचाई, जब उसे उस सतह से मापा जाए, जिस पर यान होता है, 4.75 मीटर से अधिक नहीं होगी :

परंतु इस उपनियम के उपबंध, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के साधारण या विशेष आदेश द्वारा छूट प्राप्त, सन्निर्माण उपस्कर यान के किसी अन्य विशेष प्रयोजन संयोजन को लागू नहीं होंगे :

(घ) उपनियम (6) में "किसी ट्रैक्टर से भिन्न " शब्दों के स्थान पर "किसी ट्रैक्टर और सन्निर्माण उपस्कर यान से भिन्न" शब्द रखे जाएंगे;

(ङ) इस प्रकार संशोधित उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(6क) सन्निर्माण उपस्कर यान का, जब वह गति में हो, प्रलंबन सामने या पिछली तरफ 7.5 मीटर से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण :—इस उपनियम के प्रयोजन के लिए "प्रलंबन" से ऐसी लंबाई/उंचाई अभिप्रेत है जो सन्निर्माण उपस्कर यान की अक्षीय धूरी से क्षतिजीय और समानान्तर, ऐसी धूरी के समकोण पर ऐसे दो उर्ध्वाधर समतलों के जो निम्नलिखित में से गुजरते हैं, बीच मापी गई है—

उपनियम (3क) के स्पष्टीकरण की मद (i) से (vi) में वर्णित पुर्जों या वेटमेटों के अलावा—

(i) अगले प्रलम्बन के लिए यान का सबसे अगला बिन्दु और अगली धुरी का मध्य बिन्दु;

(ii) पिछले प्रलम्बन के लिए यान का सबसे पिछला बिन्दु और पिछली धुरी का मध्य बिन्दु।

(च) उपनियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(7क) सिवाय दिशा सूचक या चालक दर्पण के गति की दशा में सन्निर्माण उपस्कर यान कोई भाग, टायरों या पहियों के ड्रम चाहे वह एक या दो टायर या रोलर के हो, से सबसे बाहरी किनारे के पार्श्व से 300 मिलीमीटर से अधिक वहिर्विष्ट नहीं होगा।

5. मूल नियम के नियम 94 में उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) वाइब्रेटरी कंपेक्टरों के स्टील ड्रम रोलरों या कंपेक्टर रोलरों या रोड रोडर या पथ बिछाने वाले यान से भिन्न प्रत्येक मोटर यान और सन्निर्माण उपस्कर यान पर वातीय टायर या ठोस रबड़ टायर लगाए जाएंगे।"

6. मूल नियम के नियम 95 को उसके उपनियम (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुन: संख्यांकित उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट सन्निर्माण उपस्कर यान के टायरों के आकार की प्लाई-रेटिंग, उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट, ऐसे टायरों द्वारा होने के लिए अनुज्ञेय अधिकतम भार के संबंध में वह होगी जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है :

परंतु दो या अधिक टायरों वाली एकल धुरी के लिए अधिकतम सुरक्षित भार 10.2 टन से अधिक नहीं होगा।

आफ-दी रोड सर्विस : परंपरागत और चौड़े आधार वाली विकर्ण प्लाई टायर

सारणी

कृषि ट्रेक्टर परिचालन पहिया

टायर के आकार का पदाभिधान	प्लाई रेटिंग	ढोये जाने के लिए अनुज्ञेय अधिकतम भार (कि. ग्रा.)
1	2	3
8.3/8-24	4	630
8.3/8-32××	6	825
8.3/8-32	4	730
	6	925
11.2/10-28	4	900
	6	1120
	8	1320
12.4/11-24	4	950
	6	1215
	8	1450
12.4/11-28	4	1030
	6	1285
	8	1550
	10	1600
	12	1650
12.4/11-36	4	1150
	6	1450
12.4/11-38	4	1180
	6	1500
	8	1750
13.6/12-28	4	1120
	6	1450

1	2	3
	8	1650
	10	1750
	12	1800
16.9/14-28	6	1850
	8	2180
	10	2430
	12	2725

सड़क श्रेणित्र

13.00-24	8	2040
	12	2485
14.00-24	12	3015

आफ-दी रोड सर्विस हौलेज सर्विस टायर

टायर के आकार का पदाभिधान	प्लाई रेटिंग	ढोये जाने के लिए अनुज्ञेय अधिकतम भार (कि. ग्रा.)
12.00-20	14	2650
	16	2900
12.00-24/25	14	3000
	16	3250
13.00-24/25	18	3875
14.00-24/25	16	4000
	20	4625
	24	5150
16.00-24/25	20	5450
	24	6000
	28	6700
18.00-24/25	12	4750
	16	5600
	20	6500
	24	7300
	28	8000
	32	8750

चौड़ाई आधार		
टायर के आकार का पदाभियान	प्लाई रेटिंग	ढोये जाने के लिए अनुज्ञेय अधिकतम भार (कि. गा.)
23.5-25	12	5300
	16	6150
	20	7300
	24	8000

टिप्पण :

ऐसे टायरों की भार रेटिंग जो ऊपर सारणी में नहीं दिए गए हैं, केंद्रीय सरकार द्वारा तब अधिसूचित की जा सकेगी, जब ऐसे टायर सन्निर्माण उपस्कर यान में लगाये जाते हैं, और जब तक इसे अधिसूचित नहीं किया जाता, तब तक सन्निर्माण उपस्कर यान विनिर्माता द्वारा घोषित अनंतिम भार रेटिंग, नियम 126 में निर्दिष्ट प्रमाणकर्ता परीक्षण अभिकरण द्वारा प्रमाणित की जा सकेगी'';

7. मूल नियम के नियम 96 के पश्चात् निम्नलिखित अत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

96(क) सन्निर्माण उपस्कर यान के लिए ब्रेक:—

(1) द्रव स्वेतिक संचारण वाले सन्निर्माण उपस्कर यानों में या तो हाथ या पैर से संचालित की जाने वाली कम से कम पहियों की समान धुरी या ड्रम पर चालन या ठहराव के लिए द्रव स्थेतिक ब्रेक प्रणाली को लगाया जाएगा;

(2) ब्रेकिंग प्रणाली की सामर्थ्य उपनियम 8 में विनिर्दिष्ट दूरी के अन्दर यान को रोकने में समर्थ होगी और सभी दशाओं में, विराम की दशा में रोक रखेगी और ऐसे सभी ब्रेक प्रत्येक समय समुचित रूप में संचालित 'दक्ष' संचालन की दशा में होगे।

(3) प्रत्येक सन्निर्माण उपस्कर यान में जिनमें द्रव स्थेतिक संचारण नहीं हैं, उप पर ब्रेकों को सीधे पहिए पर प्रचालित या अन्य किसी साधन के द्वारा प्रचालित होगा या विद्युत रेलों में उपयुक्त स्थान पर इस प्रकार लगाए जाएंगे कि वह ऐसे ब्रेकों का वियुक्त अलग या पहियों पर ब्रेक लगाने की कार्रवाई को पृथक न की जा सके।

(4) मोटर यान (6वां संशोधन) नियम, 2000 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् विनिर्मित प्रत्येक सन्निर्माण उपस्कर यान में ऐसी ब्रेक प्रणाली लगी होगी जिसकी क्रिया, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सुसंगत भारतीय मानकों के अनुरूप होगी।

(5) सन्निर्माण उपस्कर यान की ब्रेक प्रणाली या ब्रेक प्रणालियों में से एक इस प्रकार निर्मित किया और बनाए रखा जाएगा कि यह प्रभावी रूप से उस समय जब यान बिना देख रेख के है, कम से कम दो पहियों या ड्रामों को घुमने से रोकेगा और इसका डिजाइन ऐसा होगा कि इसे हाथ और पांव से लगाया जा सके और

जब इंजन बंद हो तो यह स्वत: ही लग जाये।

(6) चार या चार से अधिक पहियों वाले सन्निर्माण उपस्कर यान की दशा में, सर्विस ब्रैक यान के कम से कम दो पहियों पर कार्य करेगा।

(7) सन्निर्माण उपस्कर यान की सर्विस ब्रैक प्रणाली यान को उस समय 13 मीटर की दूरी के भीतर हैंड ब्रैक या फुट ब्रैक लगाने पर रोकने में सक्षम होगी, जब उसका बिना लदे हुए और संयोजन लगे होने की स्थिति में 30 कि.मी. प्रति घंटा को गति पर या अधिकतम डिजाइन की गई गति के 80% पर जो भी कम हो परीक्षण किया जाये। परीक्षण अच्छी दशा के शुष्क धरातल ठोस सड़क पर गति की सामने की दिशा में संचालित किया जाये और परीक्षण के दौरान गतिवर्धक नियंत्रण या गति नियंत्रण को पूर्ण रूप से छोड़ दिया जाएगा और हस्तचालित गीयर बदल नियंत्रण यान की दशा में, टाप गीयर और क्लिच का प्रयोग किया जाएगा।

स्पष्टीकरण :—इस परीक्षण के प्रयोजन के लिए ''बिना लदे हुए'' से ऐसा गतिमान सन्निर्माण उपस्कर यान अभिप्रेत है जिस पर चालक और परीक्षण के पर्यवेक्षण के विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए अन्य व्यक्ति तथा उपकरणों, यदि कोई है, के सिवाय कोई भार न हो।''

8. मूल नियम के नियम 98 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''98 क सन्निर्माण उपस्कर यान के लिए स्टीयरिंग गियर —

(1) प्रत्येक सन्निर्माण उपस्कर यान की स्टीयरिंग प्रणाली अच्छी और ठीक हालत में रखी जाएगी और साथ ही जब उसका चालू इन्जन में परीक्षण किया जाए तो उसमें स्टीयरिंग व्हील पर 30 डिग्री से अधिक पश्चगमन नहीं होगा। मैकेनिकल स्टीयरिंग प्रणाली के स्टीयरिंग अनुबंधों को जोड़ने वाले सभी बोल्ट संयोजनों की रबड़ कैप लगाकर सुरक्षा की जाएगी और जहां ऐसे जोड़ों पर बोल्ट या पिन लगे हों वहां बोल्टों और पिनों को प्रभावी ढंग से कसा जाएगा हाइड्रोस्टैटिक स्टीयरिंग प्रणाली की दशा में चल भागों को प्रभावी ढंग से सील किया जाएगा और धूल के प्रदेश से सुरक्षित किया जाएगा।

(2) सन्निर्माण उपस्कर यान की स्टीयरिंग प्रणाली इस प्रकार पर्याप्त रूप से डिजाइन की जाएगी कि सभी चालन परिस्थितियों के यान का दक्ष और प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके और उसे इस प्रकार सन्निर्मित किया जाएगा जिससे कि यह समय समय पर यथा उपांतरित भारतीय मानक आई एस 12222-(1987) के अनुरूप हो।

(3) सन्निर्माण उपस्कर यान का स्टीयरिंग प्रयास सामान्य बिना लदे हुए प्रचालन के दौरान हाइड्रोस्टेटिक स्टीयरिंग प्रणाली के लिए 11.7 कि.ग्रा. पुश/पुल और हस्तचलित स्टीयरिंग व्हील प्रणाली के लिए 20 कि.ग्रा. से उस समय अधिक नहीं होगा जब उसका मानांकन भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा यथा विनिर्दिष्ट भारतीय मानक आई.एस. 11948 (1986) के खंड 5.1 से 5.4 के अनुसार किया जाये।

9. मूल नियम के नियम 100 में—

(क) उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3क) केन्द्रीय मोटर यान (6वां संशोधन) नियम, 2000 के प्रारंभ की तारीख से 3 वर्ष पश्चात् विनिर्मित किसी सन्निर्माण उपस्कर यान के सामने के वायु रोधी पर्दे का कांच, पटलित सुरक्षा कांच से बना होगा।";

(ख) उपनियम (4) में "किसी मोटर यान" शब्दों के स्थान पर "किसी मोटर यान जिसमें सन्निर्माण उपस्कर यान भी सम्मिलित है" शब्द रखे जाएंगे।

10. मूल नियम के नियम 101 में उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2क) केन्द्रीय मोटर यान (6वां संशोधन) नियम, 2000 के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् विनिर्मित वायु रोधी कांच वाले सभी सन्निर्माण उपस्कर यानों पर एक दक्ष वायु रोधी प्रोक्षक प्रणाली लगी होगी जो के.मो.या. नि. दस्तावेज सं. ए आर ए आई/005/के.मो.या नि./101-(2)/दिसंबर 92 वायु रोधी कांच प्रेक्षक प्रणाली के अनुरूप होगी।"

11. मूल नियम के नियम 102 में,—

(क) उपनियम (1) में "प्रत्येक मोटर यान" शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक मोटर यान जिसमें सन्निर्माण उपस्कर यान भी सम्मिलित है" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उपनियम (2) में "यान के रुकने का इरादा" शब्दों के स्थान पर "(हाइड्रोस्टेटिक ब्रेक वाले सन्निर्माण उपस्कर यान से भिन्न) यान को रोकने का इरादा" शब्द रखे जाएंगे।

12. मूल नियम के नियम 104 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"104क सन्निर्माण उपस्कर यान में परावर्तकों का लगाया जाना—

सभी सन्निर्माण उपस्कर यानों में निम्नलिखित लगाये जाएंगे :—

(i) यान के आगे प्रत्येक ओर एक एक सफेद प्रतिवर्त परावर्तक जो रात्रि में सामने से आने वाले यान को दिखाई दे;

(ii) यान के पार्श्व में दो लाल परावर्तक, जो एक दांए कोने पर और एक बांए कोने पर, पीछे से अवाधित दृश्य के लिए भूमि से 1500 मि.मी. से अनधिक की ऊंचाई पर लगे होंगे और उपकरण या युक्तियां पीछे आने वाले यानों के लिए परावर्तकों के दृश्य को बाधित नहीं करेंगे;

(iii) कहरूवा रंग के साइड प्रतिवर्त परावर्तकों के दो सेट, एक यान के बांयी ओर तथा एक यान के दांयी ओर, एक सेट बिना संयोजनों के आधारिक मशीन के अगले सिरे के और दूसरा सेट उसके पिछले सिरे से यथासंभव निकट होगा तथा यदि दो कहरूवा साइड प्रतिवर्त परावर्तकों के बीच 3 मीटर से अधिक दूरी है तो एक अतिरिक्त मध्यवर्ती कहरूवा साइड प्रतिवर्त परावर्तक इस प्रकार लगाया जाएगा कि किन्हीं दो निकटवर्ती कहरूवा साइड प्रतिवर्त परावर्तकों के बीच 3 मीटर से अधिक दूरी न हो;

परन्तु क्रेनों की बूमों, शोबल की भुजाओं आदि जैसे उपकरणों पर अतिरिक्त प्रतिवर्त परावर्तक समुचित रूप से लगाये जाएंगे;

(iv) प्रत्येक प्रतिवर्त/परावर्तक का परावर्तक क्षेत्र 28.5 वर्ग से.मी. से कम नहीं होगा;

(v) सन्निर्माण उपस्कर यान पर सामने और पिछली तरफ यान की चौड़ाई के साथ-साथ परावर्तक टेप का परावर्तक पेंट लगा होगा, जिसकी चौड़ाई 20 मि.मी. से कम नहीं होगी और परावर्तक टेप या परावर्तक पेंट का रंग सामने की तरफ सफेद और पिछली तरफ लाल होगा;

(vi) इस उपनियम में निर्दिष्ट परावर्तक प्रतिवर्त प्रकार के होंगे जो भारतीय मानक ब्यूरों द्वारा विनिर्दिष्ट भारतीय मानक आई एस : 8339 के अनुरूप होंगे।"

(vii) परावर्तक टेप या पेंट, जल भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क स्कंध) के सड़क और पुल संकर्म के लिए समय-समय पर यथा-संशोधित विनिर्देशों (तीसरा पुनरीक्षण, 1995) के खंड 801 और 803 के अनुसार होंगे।

13. मूल नियमों के नियम 105 के—

(क) उपनियम (1) में उपखंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) सन्निर्माण उपस्कर यान की दशा में सामने सफेद प्रकाश दिखाने वाले दो या चार लैम्प जिनका प्रकाश आगे एक सौ

पचपन मीटर की दूरी से दिखाई देगा;

(ख) उपनियम (2) के—

(i) उपखंड (ii) में, "यान के पीछे की और" शब्दों के स्थान पर "यान के पीछे की ओर तथा सन्निर्माण उपस्कर यान दशा में पार्श्व पर" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु प्रत्येक सन्निर्माण उपस्कर यान पर पीछे की ओर लाल प्रकाश दिखाने वाले दो लैम्प भी लगे होंगे, जिनका प्रकाश पीछे एक सौ पचपन मीटर की दूरी से दिखाई देगा।";

(ग) उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3क) केन्द्रीय मोटर यान (6वां संशोधन) नियम, 2000 के प्रारम्भ से ही किसी सन्निर्माण उपस्कर यान के सामने के सभी अनिवार्य हैड लेम्प यथाशक्य निकटतम एक ही शक्ति के होंगे और ऐसी ऊंचाई पर लगे होंगे कि सामने का दृश्य स्पष्ट दिखाई दे और सामने से आने वाले यातायात को उपकरण/संयोजन का अंतिम सिरा स्पष्ट रूप से दिखाई दें।"

(घ) उपनियम (6) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु अपरंपरागत और असाधारण प्रकार के प्रत्येक सन्निर्माण उपस्कर यान पर, जब वह चालन के लिए तैयार हो, यान के पीछे की ओर अंतिम बिन्दु पर एक लाल दिशा सूचक लेम्प लगा होगा जिसका आकार 100 वर्ग से.मी. से कम नहीं होगा।";

(ङ) उपनियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(8) केन्द्रीय मोटर यान (6वां संशोधन) नियम, 2000 के प्रारम्भ पर प्रत्येक सन्निर्माण उपस्कर यान पर पीछे की ओर दो लेम्प लगे होंगे जो उस समय पीछे की ओर प्रकाश फेकेंगे जब यान रिवर्स गियर में चलाया जाये और उसमें श्रव्य चेतावनी प्रणाली भी होगी जो उस समय प्रचालित होगी जब यान रिवर्स गियर में चलाया जाये तथा जब यान रिवर्स गियर में चलाया जाये श्रव्य चेतावनी प्रणाली और प्रकाश का स्वत: प्रचालन होगा।";

14. मूल नियम के नियम 106 के उपनियम (1) में "किसी मोटर यान में" शब्दों के स्थान पर "किसी मोटर यान में, जिसमें सन्निर्माण उपस्कर यान भी सम्मिलित है" शब्द रखे जाएंगे।

15. मूल नियम के नियम 107 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"107 क. **सन्निर्माण उपस्कर यान के लिए उपकरण बत्तियां.**—ऐसे सन्निर्माण उपस्कर यान पर, जिनमें ऐसे उपकरण लगे हैं जिनका सामने का प्रलंब व्हील बेस के 60% से अधिक है, कहरूवां रंग की अतिरिक्त उपकरण बत्ती लगी होगी, जो उपकरण के अंतिम सिरे के निकटतम अवस्थित होगी और जो सभी दिशाओं में प्रकाश दिखाने के कृत्यों को प्रभावित नहीं करेगी और जहां उपकरण की लंबाई 3 मीटर से अधिक है, वहां उपकरण की संपूर्ण लंबाई पर 3 मीटर से अनधिक दूरी पर अतिरिक्त कहरूवां रंग के लेप लगाये जाएंगे :

परंतु पिछले प्रलंब की दशा मे अतिरिक्त उपस्कर बतियां लाल रंग की होंगी"।

16. मूल नियम के नियम 108 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापति किया जाएगा, अर्थात् :—

"108क. सन्निर्माण उपस्कर यान पर लाल या सफेद बत्तियों का प्रयोग :—

कोई भी सन्निर्माण उपस्कर यान सामने की ओर लाल बत्ती या पीछे की ओर लाल बत्ती से अन्य कोई बत्ती नहीं दिखाएगा :

परन्तु इस नियम के उपबंध निम्नलिखत को लागू नहीं होंगे :—

(i) यान के अंदर के प्रकाश को;

(ii) कहरूवां बत्ती को, यदि वह किसी दिशा सूचक या सबसे ऊपर की बत्ती द्वारा उपदर्शित की जाये;

(iii) पीछे की ओर या बाजू की रजिस्ट्रीकरण सं. प्लेट को प्रदीप्त करने वाली सफेद बत्ती को;

(iv) यान को पीछे की ओर चलाते समय प्रयोग की जाने वाली सफेद बत्ती को;

(v) राजमार्ग से परे या सन्निर्माण संक्रियाओं में भूमि पर उपकरण के कार्यकरण क्षेत्र को प्रदीप्त करने के लिए लगाई गई बत्ती को";

17. मूल नियम के नियम 109 में,—

(क) "तिपहिया गाड़ियों से भिन्न प्रत्येक मोटर यान पर" शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक सन्निर्माण उपस्कर यान और तिंपहिया गाड़ियों से भिन्न प्रत्येक मोटर यान पर" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि सन्निर्माण उपस्कर यान में यान के सामने की ओर, पीछे की ओर या बाजू में ऐसे फ्लड लाइट लेम्प या स्पोर्ट बत्तियां स्थापित की जाएंगी जिन्हें पृथक नियंत्रण द्वारा बंद किया जा सके और जब यान उसके राजमार्ग से परे या सन्निर्माण संक्रियाओं से अनुषंगी मार्ग पर चालन कर रहा हो उन्हें स्थायी रूप से बंद किया जा सके"।

18. मूल नियमों के नियम 112 के अंत में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि सन्निर्माण उपस्कर यान की दशा में उर्ध्वाकर निष्कासक नली लगाई जा सकेगी और इस नली का निकास ऐसी दिशा में होना चाहिए जिससे कि यान का चालक निष्कासित गैस के प्रभाव में न आएं।"

19. नियम 115 क में "कृषि ट्रेक्टरों" शब्दों के स्थान पर जहां कहीं भी वे आते हैं, "कृषि ट्रेक्टरों और सन्निर्माण उपस्कर यानों" शब्द रखे जाएंगे।

20. मूल नियम के नियम 117 के,—

(क) उपनियम (1) में, (i) "भिन्न प्रत्येक मोटर यान में एक संयंत्र" शब्दों के स्थान पर "भिन्न प्रत्येक मोटर याान (जिसमें सन्निर्माण उपस्कर यान सम्मिलित है) में एक संयंत्र" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि ऐसे सन्निर्माण उपस्कर यान को, जिसमें चालक का केबिन उर्ध्वाकर धुरी पर घूमता है, गतिमापी की व्यवस्था की अपेक्षा से छूट है।";

(ख) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"(3) केन्द्रीय मोटरयान (6वां संशोधन) नियम, 2000 के आरंभ से और उसके पश्चात् विनिर्मित प्रत्येक सन्निर्माण उपस्कर यान में ऐसा गतिमापी लगाया जाएगा जो गतिमापी से संबंधित भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट आई. एस. 11827 की अपेक्षाओं के अनुरूप हों।"

21. मूल नियम के नियम 119 के उपनियम (3) में, "उपयोग में आने वाले ऐसे यानों को ऐसे ध्वनि संकेतों" शब्दों के स्थान पर "उपयोग में आने वाले ऐसे यानों को या सन्निर्माण उपस्कर यानों को ऐसे ध्वनि संकेतों" शब्द अंत:स्थापित किये जाएंगे।

22. मूल नियम के नियम 121 के उपनियम (1) में, "किसी भी मोटर यान को" शब्दों के स्थान पर "किसी भी मोटर यान को, जिसमें सन्निर्माण उपस्कर यान सम्मिलित है" शब्द रखे जाएंगे।

23. नियम 122 के उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1क) केन्द्रीय मोटर यान (6वां संशोधन) नियम, 2000 के आरंभ से ही, प्रत्येक सन्निर्माण उपस्कर यान पर पहचान संख्यांक जिसमें विनिर्माण का मास और वर्ष भी है, समुदभृत या अकीर्णित या छिद्रित होगा :

परंतु ऐसे सन्निर्माण उपस्कर यानों पर, जिनमें इंजन सं; चेसिस सं. और विनिर्माण के मास के उत्कीर्णन, समुद्भरण या छिद्रण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है, विनिर्माण के वर्ष और मास का एक पहचान प्लेट पर उत्कीर्ण, समुद्भरण या छिद्रण किया जाएगा जिसे यान की बॉडी पर वेल्ड किया जाएगा या रिबेट लगा कर लगाया जाएगा।"

24. मूल नियम के नियम 124 के उपनियम (1) में, "और जो यान के विनिर्माण में " शब्दों के स्थान पर "और जो यान के, जिसमें सन्निर्माण उपस्कर यान सम्मिलित है, विनिर्माण में" शब्द रखे जाएंगे"

25. मूल नियम के 125 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**125 क. सन्निर्माण उपस्कर यानों के लिए सुरक्षा बेल्ट** .—केन्द्रीय मोटरयान (6वां संशोधन) नियम, 2000 के प्रारंभ के एक वर्ष से, कृषि ट्रेक्टर से भिन्न प्रत्येक सन्निर्माण उपस्कर यान का विनिर्माता, ऐसे प्रत्येक यान पर चालक के लिए और अगली सीट पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए सीट बेल्ट लगाएगा और साथ ही पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण भी लगाएगा।"

26. मूल नियम के नियम 126 क के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"126 ख (1) **प्रत्येक सन्निर्माण उपस्कर यान के प्रोटोटाइप का परीक्षण किया जाना.**— केन्द्रीय मोटरयान (6वां संशोधन) नियम, 2000 के आरंभ की तारीख से ही सन्निर्माण उपस्कर यान का प्रत्येक विनिर्माता उसके द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले सन्निर्माण उपस्कर यान का प्रोटोटाइप नियम 126 में निर्दिष्ट अभिकरणों में से किसी को अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुपालन का उस अभिकरण द्वारा प्रमाणप्रत्र दिये जाने के लिए जमा करेगा।

(2) नियम 126 में निर्दिष्ट परीक्षण अभिकरण केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार विनिर्माता के कारखाने

(प्रोडक्शन लाइन) से लिए नए यानों का, यह सत्यापन करने के लिए क्या यान अधिनियम या नियम के उपबंधों या उनके अधीन जारी आदेशों के अनुरूप है, उनको उपनियम (1) के अनुसार पुन:संख्याकित करेंगे और इस प्रकार उपनियम (1) के अनुसार पुन:संख्याकित करने के पश्चात् परीक्षण करेंगे।"

27. मूल नियम के नियम 127 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) केन्द्रीय मोटरयान (6वां संशोधन) नियम, 2000 के आरंभ की तारीख से ही प्रत्येक विनिर्मित सन्निर्माण उपस्कर यान के विक्रय के साथ विनिर्माता द्वारा प्ररूप 22 में जारी किया सड़क योग्यता प्रमाणपत्र होगा।"

28. प्ररूप 22 के शीर्ष में "124" अंकों के स्थान पर "115 क, 124" अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

[फा. सं. आरटी-11041/1/96-एमवीएल]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण — मूल नियम अधिसूचना सा. का. नि. संख्यांक 590(अ) तारीख 12-6-88 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सा. का. नि. संख्यांक 129(अ) तारीख 16-02-2000 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2000

GSR 642(E).— Whereas the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicle Rules, 1989 was published as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988(59 of 1988) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (I) dated the 05th January, 2000 with the notification of Government of India in the Ministry of Surface Transport(Transport Wing), No. G.S.R. 23(E) dated 05th January, 2000 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of fort-five days from the date on which copies of the Gazette of India containing the notification are made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on 10th January, 2000;

And whereas the objections and suggestions received from the public have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988(59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1)These rules may be called the Central Motor Vehicles (6th Amendment) Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989(hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2, after clause (c), the following shall be inserted, namely:-

'(ca) "construction equipment vehicle" means rubber tyred, (including pneumatic tyred), rubber padded or steel drum wheel mounted, self-propelled, excavator, loader, backhoe, compactor roller, dumper, motor grader, mobile crane, dozer, fork lift truck, self-loading concrete mixer or any other construction equipment vehicle or combination thereof designed for off highway operations in mining, industrial undertaking, irrigation and general construction but modified and manufactured with "on or off" or "on and off" highway capabilities.

Explanation :- A construction equipment vehicle shall be a non-transport vehicle the driving on the road of which is incidental to the main off highway function and for a short duration at a speed not exceeding 50 kms per hour, but such vehicle does not include other purely off highway construction equipment vehicle designed and adopted for use in any enclosed premises, factory or mine other than road network, not equipped to travel on public roads on their own power.'

3. In rule 92 of the principal rules, after sub-rule (2) , the following Explanation shall be added, namely:-

'Explanation - For the purposes of this rule, "motor vehicle" includes construction equipment vehicle'.

4. In rule 93 of the principal rules,

(a) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(1A)The overall width of a construction equipment vehicle, measured at right angles to the axis of the construction equipment vehicle between perpendicular planes enclosing the extreme points, shall not exceed 3 meters while in the travel mode and such construction equipment vehicle shall be painted for the entire width by yellow and black zebra stripes on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear." ;

(b) after sub-rule (3), the following shall be inserted, namely:-

'(3A)The overall length of the construction equipment vehicle, in travel shall not exceed 12.75 meters:

Provided that in the case of construction equipment vehicle with more than two axles, the length shall not exceed 18 meters.

Explanation:- For the purposes of this sub- rule "overall length" means the length of the vehicle measured between parallel planes through the extreme projection points of the vehicle, exclusive of -

(i) any fire-escape fixed to a vehicle;
(ii) any ladder used by the operator to board or alight the vehicle;
(iii) any tail or indicator lamp or number plate fixed to a vehicle.";

(iv) any sphere wheel or sphere wheel bracket or bumper fitted to a vehicle;
(v) any towing hook or other fitments;
(vi) any operational attachment on front, rare or carrier chassis of construction equipment vehicle in travel mode.

(c) after sub-rule (4), the following shall be inserted, namely:-

"(4A)The overall height of a construction equipment vehicle measured from the surface on which the vehicle rests shall not exceed 4.75 meters, while in the travel mode:

Provided that the provisions of this sub-rule shall not apply to any other special purpose attachment to the construction equipment vehicle exempted by general or special order of the registering authority.";

(d) in sub-rule (6), for the words "other than a tractor", the words "other than a tractor and construction equipment vehicle" shall be substituted;

(e) after sub- rule (6) as so amended, the following shall be inserted , namely:-

'(6A)The overhang of the construction equipment vehicle shall not exceed 7.5 meters in front or rear while in the travel mode.

Explanation:- For the purpose of this sub-rule, "overhang" means the length/height measured horizontally and parallel to the longitudinal axis of the construction equipment vehicle between two vertical planes at right angles to such axis passing through -

(i)the front most point of the vehicle and the centre point of the front axle, for the front overhang,

(ii)the rearmost point of the vehicle and centre point of the rear axle, for the rear overhang,

exclusive of the parts or fitments mentioned at items (i) to (vi) of the Explanation to sub-rule(3A).';

(f) after sub-rule (7), the following shall be inserted, namely:-

"(7A)No part of the construction equipment vehicle in travel mode other than a direction indicator, or a driving mirror, shall project laterally more than 300 millimeters beyond the extreme outer edge of the tyres or wheel drums regardless of single or dual tyres or rollers."

5. In rule 94 of the principal rules, for sub-rule (1), the following shall be substituted namely:-

"(1)Every motor vehicle shall be fitted with pneumatic tyres and every construction equipment vehicle, other than steel drum rollers of vibratory compactors or compactor rollers or road roller or a track laying vehicle, shall be fitted with pneumatic tyres or solid rubber tyres."

6. Rule 95 of the principal rules shall be renumbered as sub-rule (1) thereof, and after sub-rule (1) as so renumbered, the following shall be inserted, namely:-

"(2) The size of the tyres of a construction equipment vehicle specified in column (1) of the Table below shall have a ply rating specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table in respect of maximum weight permitted to be carried by such tyre specified in the corresponding entry in column (3) thereof:

Provided that the maximum safe load for single axle with two or more tyres shall not exceed 10.2 tonnes.

OFF-THE-ROAD SERVICE: CONVENTIONAL AND WIDE BASE DIAGONAL PLY TYRES

TABLE

AGRICULTURAL TRACTOR DRIVE WHEEL		
TYRE SIZE DESIGNATION	**PLY RATING**	**MAXIMUM WEIGHT PERMITTED TO BE CARRIED (Kgs)**
8.3/8-24	4	630
	6	825
8.3/8-32	4	730
	6	925
11.2/10-28	4	900
	6	1120
	8	1320
12.4/11-24	4	950
	6	1215
	8	1450
12.4/11-28	4	1030
	6	1285
	8	1550
	10	1600
	12	1650
12.4/11-36	4	1150
	6	1450
12.4/11-38	4	1180
	6	1500
	8	1750
13.6/12-28	4	1120

	6	1450
	8	1650
	10	1750
	12	1800
16.9/14-28	6	1850
	8	2180
	10	2430
	12	2725

ROAD GRADER		
13.00-24	8	2040
	12	2485
14.00-24	12	3015

OFF THE ROAD HAULAGE SERVICE TYRES		
TYRE SIZE DESIGNATION	**PLY RATING**	**MAXIMUM WEIGHT PERMITTED TO BE CARRIED (Kgs)**
12.00-20	14	2650
	16	2900
12.00-24/25	14	3000
	16	3250
13.00-24/25	18	3875
14.00-24/25	16	4000
	20	4625
	24	5150
16.00-24/25	20	5450
	24	6000
	28	6700
18.00-24/25	12	4750
	16	5600
	20	6500
	24	7300
	28	8000
	32	8750

WIDE BASE		
TYRE SIZE DESIGNATION	**PLY RATING**	**MAXIMUM WEIGHT PERMITTED TO BE CARRIED (Kgs)**
23.5-25	12	5300

	16	6150
	20	7300
	24	8000

NOTE :

The load rating for tyres not covered by the above Table may be notified by the Central Government as and when such tyres are introduced on construction equipment vehicles, and

until these are notified, the provisional load rating declared by the construction equipment vehicle manufacturer may be certified by the certifying test agency referred to in rule 126";

7. After rule 96 of the principal rules, the following shall be inserted, namely;

"96A.Brakes for Construction Equipment Vehicle.-

(1) Construction equipment with hydrostatic transmission shall employ either hand or foot operated hydrostatic breaking system both for service and parking brake system acting at least on two wheels on the same axle or drum";

(2) The braking system shall be of a strength capable of stopping the vehicle within the distance specified in sub-rule (8) and of holding it at rest in all conditions, and all such brakes shall at all times be properly conducted and maintained in efficient condition

(3) In every construction equipment vehicle, other than those having hydrostatic transmission, the brakes operated by any of the means of operation shall act directly upon the wheel or at a suitable location in the power train provided that such an action does not discouple, disengage or isolate the braking action from the wheels.

(4) Every construction equipment vehicle manufactured on or after the commencement of the Motor Vehicles(6th Amendment) Rules, 2000, shall have a braking system whose performance shall conform to the relevant Indian standard specified by the Bureau of Indian Standards.

(5) The braking system or one of the braking systems of construction equipment vehicle, shall be so constructed and maintained that it can effectively prevent at least two wheels or drums from revolving when the vehicle is left unattended and it shall be designed to be applied through hand or foot or automatically when engine is not running.

(6) In the case of construction equipment vehicles with four or more than four wheels, the service brake shall work on at least two wheels of the vehicle.

(7) The service braking system of the construction equipment vehicle shall be capable of bringing the vehicle to halt on application of hand brake or foot brake within a distance of 13 meters when tested in unladen and attachment carry position at a speed of 30 km per hour or 80% of the maximum designed speed whichever is less, the test being conducted in forward direction of travel on a dry level hard road in good condition and during the test the acceleration control or travel control shall be fully released and in the case of vehicle with manual gear shifting control, the top gear and the clutch shall be engaged

Explanation:- For the purpose of this test, "Unladen" means the construction equipment vehicle in travel mode without any load except the driver and another person for the specific purpose of supervising the test and the instruments, if any."

8. After rule 98 of the principal rules, the following shall be inserted, namely:-

"98A. Steering gears for construction equipment vehicles.- (1) The steering system of every construction vehicle shall be maintained in good and sound condition, with backlash not exceeding 30 degrees on the steering wheel when tested with the engine running; ball-joints connecting the steering linkage of the mechanical steering system shall be protected by rubber caps and where the connections are secured with bolts or pins, the bolts or pins shall be effectively locked; in the case of hydrostatic steering system the moving parts shall be effectively sealed and protected from dust ingress.

(2) The steering system of the construction equipment vehicle shall be adequately designed to ensure efficient and effective control of the vehicle under all the driving conditions and shall be so constructed as to conform to the Indian Standards IS:12222-(1987), as modified from time to time.

(3) The steering effort of the construction equipment vehicles during normal unladen operation shall not exceed 11.7 kg push / pull for hydrostatic steering system and 20kg for manual steering wheel system when evaluated as per clauses 5.1 to 5.4 of Indian Standard IS:11948-(1986) as specified by the Bureau of Indian Standards.".

9. In rule 100 of the principal rules,--

(a) after sub-rule (3) the following sub-rule shall be inserted, namely:

"(3A) The glass of the front wind screen of a construction equipment vehicle manufactured after 3 years from the date of commencement of the Central Motor Vehicles (6th Amendment) Rules, 2000 shall be made of laminated safety glass.";

(b) in sub-rule (4), for the words "any motor vehicle", the words "any motor vehicle including construction equipment vehicle" shall be substituted.

10. In rule 101 of the principal rules, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted namely:-

"(2A) All construction equipment vehicles having windscreen and manufactured , after One year from the date of commencement of Central Motor Vehicles (6th Amendment), Rules, 2000, shall be fitted with an efficient windscreen wiping system which shall conform to CMVR document No. ARAI/005/CMVR/101-(2)/December 92- windscreen wiping system."

11. In rule 102 of the principle rules,-

(a) in sub-rule(1)for the words "Every motor vehicle", the words "every motor vehicle including construction equipment vehicle" shall be substituted;

(b) in sub-rule(2), for the words " The intention to stop the vehicle" the words and brackets " The intention to stop the vehicle (other than construction equipment vehicle having hydrostatic brakes)" shall be substituted.

12. After rule 104 of the principal rules, the following shall be inserted namely :-

"104A Fitment of reflectors on construction equipment vehicles.- All construction equipment vehicles shall be fitted with

(i) two white reflex reflectors in the front of the vehicle on each side and visible to on-coming vehicles from the front at night;

(ii) two red reflectors in the rear of the vehicle, one each at right and left corners, at a height not exceeding 1500 mm above the ground in the case of unobstructed vision from the rear and the implement or device shall not obstruct the visibility of the reflectors to the following vehicle;

(iii)two sets of amber coloured side reflex reflectors, one each on left hand and right hand sides of the vehicle, one set as close to the front end and the other set as close to the rear end as possible to the basic machine without attachments and if the distance between the two amber side reflex reflectors is more than 3 meters additional intermediate amber side reflex reflectors shall be fitted so that the distance between any adjacent amber side reflex reflector is not more than 3 meters:

Provided that implements, such as booms of cranes, arms of shovels, etc., shall in addition be fitted with Reflex reflectors appropriately

(iv) the reflecting area of each reflex reflector shall not be less than 28.5 sq.cms;

(v) the construction equipment vehicle shall be fitted with a retro-reflective tape or retro-reflective paint of not less than 20 millimeters width ,running across the width of the body at the front and rear, and the colour of the reflective tape or reflective paint shall be white at the front and red at the rear.

(vi) the reflectors referred to in this sub rule, shall be of reflex type conforming to Indian Standard IS:8339 specified by the Bureau of Indian Standards."

(vii) the retro-reflective tape and paint shall be as per clause 801 and 803 of Ministry of Surface Transport(Roads Wing) specifications for Road and Bridge works, (3rd Revision, 1995) as amended from time to time

13. In rule 105 of the principal rules,--

(a) in sub-rule(1), after sub-clause (c), the following shall be inserted, namely :-

"(d)in the case of construction equipment vehicle , two or four lamps showing to the front white light visible from a distance of one hundred and fifty-five meters ahead;

(b) in sub-rule (2) ,

(i) in sub-clause (ii) ,for the words "on the rear of the vehicle" ,the words " on the rear of the vehicle, and on the side in the case of construction equipment vehicle" shall be substituted;

(ii) after the proviso, the following proviso shall be inserted namely :-

Provided further that every construction equipment vehicle shall also carry two lamps showing to the rear red lights visible in the rear from a distance of one hundred and fifty five meters.";

(c) after sub-rule (3) , the following sub-rule shall be inserted, namely :-

"(3A) On and from the commencement of the Central Motor Vehicles (6th Amendment) Rules, 2000, all the obligatory front head lamps of a construction equipment vehicle shall be as nearly as possible of the same power and fixed at a height so that front visibility is maintained and farthermost point of equipment / attachment is clearly seen by oncoming traffic.";

(d) to sub-rule (6) , the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that every construction equipment vehicle of an unconventional or extraordinary type in travel mode shall be fitted or installed with a red indicator lamp of size of not less than 100 square centimetres on the extreme rear-most point of the body.";

(e) after sub-rule (7) , the following shall be added, namely :-

"(8) On the commencement of the Central Motor Vehicle (6th Amendment) Rules, 2000, every construction equipment vehicle shall be fitted with two lamps at the rear throwing light to the rear when the vehicle is being driven in the reverse gear and there shall also be an audible warning system operating when the vehicle is being driven in the reverse gear the audible warning system and the light being automatically operated when the vehicle is in reverse gear.";

14. In sub-rule (1) of rule 106 of the principal rules, for the words "any motor vehicles", the words "any motor vehicle including construction equipment vehicle" shall be substituted.

15. After rule 107 of the principal rules, the following rule shall be inserted , namely:-

"107A Implement lights for construction equipment vehicle.- Construction equipment vehicle having implements with front overhang greater than 60% of wheelbase shall be fixed with additional implement light of amber colour at a location nearest to the extreme edge of the implement without affecting the functions of showing light in all directions and where the implement is more than 3 meters in length, additional amber coloured lamps shall be fixed at a distance of not exceeding 3 meters for the entire length of the implement:

Provided that in case of rear overhang the additional implement lights shall be in red colour".

16. After rule 108 of the principal rules, the following rule shall be inserted, namely.-

"108A Use of red or white light on construction equipment vehicles.- No construction equipment vehicle shall show a red light to the front or light other than red to the rear:

Provided that the provision of this rule shall not apply to:-

(i) the internal lighting of the vehicle;
(ii) the amber light, if displayed by any direction indicator or top light;
(iii) white light illuminating the rear or side registration number plate;
(iv) white light used while reversing.
(v) light provided for illuminating the implement's working area on the ground in off highway or construction operations."

17. In rule 109 of the principal rules,-

(a) for the words "Every motor vehicle other than three-wheelers", the words "Every construction equipment vehicle and every motor vehicle other than three-wheelers" shall be substituted;

(b) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that construction equipment vehicle, which are installed with flood light lamps or sport lights at the front, rear or side of the vehicle for their off-highway or construction operations, shall have separate control for such lamps or lights and these shall be permanently switched off when the vehicle is travelling on the road.

18. In rule 112 of the principal rules, the following proviso shall be inserted at the end, namely: -

"Provided also that in the case of construction equipment vehicle verticle exhaust pipe may be fitted and outlet of this pipe shall be so directed that the driver of the vehicle is not exposed to exhaust gases."

19. In rule 115A of the principal rules, for the words "agricultural tractors", wherever they occur, the words "agricultural tractors and construction equipment vehicles" shall be substituted.

20. In rule 117 of the principal rules,--

(a) in sub-rule(1),(i) for the words "Every motor vehicle other than an invalid carriage", the words "Every motor vehicle (including construction equipment vehicle), other than an invalid carriage" shall be substituted;

(ii)after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that the requirement of provision of speedometer is exempted for construction equipment vehicle in which the driver's cabin rotates about a vertical axis.";

(b) after sub-rule(2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(3) On and after the commencement of the Central Motor Vehicles (6th Amendment) Rules, 2000 every construction equipment vehicle manufactured shall be fitted with a speedometer that shall conform to the requirements of IS:11827 specified by the Bureau of Indian Standards concerning the speedometer.

21. In rule 119 of the principal rules, sub-rule (3), for the words " in the course of their duties" , the words "in the course of their duties or on construction equipment vehicles," shall be inserted.

22. In rule 121 of the principal rules, sub-rule (1), for the words "No motor vehicle", the words "No motor vehicle including construction equipment vehicle" shall be substituted.

23. In rule 122, after sub-rule (1) the following sub-rule shall be inserted, namely:

"(1A) On and from the date of commencement of the Central Motor Vehicles(6th Amendment)Rules, 2000, every construction equipment vehicle shall bear the identification number including month and year of manufacture, embossed or etched or punched on it.

Provided that in a construction equipment vehicles where the space is insufficient for etching, embossing or punching the engine number, the chassis number and month of manufacture, the etching, embossing or punching of year and month of manufacture shall be on an identification plate welded or rivetted to the body of the vehicle.".

24. In rule 124 of the principal rules, in sub-rule (1), for the words "components or assembly to be used in the manufacture of a vehicle and", the words "components or assembly to be used in the manufacture of a vehicle including a construction equipment vehicle and", shall be substituted

25. After rule 125 of the principal rules, the following shall be inserted, namely:-

"125A Safety belt, etc, for construction equipment vehicles:- One year from the date of commencement of the Central Motor Vehicle (6th Amendment) Rules, 2000, the manufacturer of every construction equipment vehicle other than an agriculture tractor shall equip every such vehicle with a seat belt for the driver and for the person occupying the front seat, and with a rear view mirror."

26. After rule 126 A of the principal rules, the following shall be inserted, namely:-

"126B Prototype of every construction equipment vehicle to be subject to test.- (1) On and from the date of commencement of the Central Motor Vehicle (6th Amendment) Rules, 2000, every manufacturer of construction equipment vehicle shall submit the prototype of the construction equipment vehicle to be manufactured by him for test by any of the agencies referred to in rule 126 for granting a certificate by that agency as to the compliance of provisions of the Act and these rules.

(2) The testing agencies referred to in rule 126 shall in accordance with the procedure laid down by the Central Government conduct tests on vehicles drawn from the production line of the manufacturer to verify whether the vehicles conform to the provisions of the Act, or rules or orders issued thereunder shall be re-numbered as sub-rule(1) thereof and after sub-rule(1) as so, renumbered",

27. Rule 127 of the principal rules, the following shall be inserted namely;

"(2) On and from the date of commencement of the Central Motor Vehicle (6th Amendment) Rules, 2000, the sale of every construction equipment vehicle manufactured shall be accompanied by a certificate of road-worthiness issued by the manufacturer in Form 22.".

28. In Form 22, in the heading for the figures, "124 " the figures and letter " 115A, 124" shall be substituted.

[F No. RT-11041/1/96-MVL]

ALOK RAWAT, Jt. Secy

Foot Note: The principal rules were notified vide Notification GSR No.590(E) dated 12-6-88 and were last ammended vide notification GSR No. 129(E) dated 16-02-2000

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.